



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 1978/भाद्र 31, 1900
No. 277] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 1978/BHADRA 31, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1978

सांकांति० 466(अ).—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट विधम, 1967 में संशोधन
करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, यथा :—

- (1) ये नियम पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 1978 कहलायेंगे।
- (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (3) पासपोर्ट नियम, 1967 की अनुसूची 1 में
- (i) खाना 3 की क्रम संख्या 7 की मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि
की जायेगी, यथा :—
“संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर राज्य”;

(ii) क्रम संख्या 13 के बाव निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, यथा :—

“14 (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, जयपुर
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर) राजस्थान राज्य

(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, जयपुर
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर) वहीं-

(ग) जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर) वहीं-

(घ) अधीक्षक, जयपुर (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर) वहीं-

[संख्यासी-ए/401/48/78]

के० डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September 1978

G.S.R.466(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

(1) These rules may be called the Passports (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) These rules shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

(3) In Schedule I of the Passports Rules, 1967,—

(i) against serial No. 7 in Column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“The Union territory of Delhi and the State of Jammu and Kashmir”.

(ii) after serial No. 13, the following shall be inserted, namely :—

“14(a) Regional Passport Officer, Jaipur (The State Of Rajasthan)
(Regional Passport Office, Jaipur) —Do—

(b) Assistant Passport officer, Jaipur
(Regional Passport Office, Jaipur). —Do—

(c) Public Relations Officer, Jaipur
(Regional Passport Office, Jaipur). —Do—

(d) Superintendent, Jaipur (Regional
Passport office, Jaipur). —Do—

[No. VI/401/48/78]

K.D. SHARMA